

राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएँ राज. जयपुर
क्रमांक:-नर्सिंग/नर्स-2/319-23496/जोन-जयपुर/2023/ 778 दिनांक- 8/11/2023

आदेश

निम्नांकित नर्सिंग कार्मिको को विदेश यात्रा जाने की अनुमति निम्नांकित शर्तों के अध्याधीन एतद् द्वारा प्रदान की जाती है -

क्र. स.	नाम कर्मचारी एवं पद नाम	पदस्थापन स्थान	विदेश यात्रा का स्थान	यात्रा का विवरण
1.	शांति देवी रूहेला म.स्वा.कार्यकर्ता	प्रा.स्वा.केन्द्र डूडवा, ब्लाक लक्ष्मणगढ सीकर	जर्मनी	15.01.24 से 15.03.24 (61 दिवस)

1. कार्मिका विदेश जाने से पूर्व सक्षम स्तर से वांछित अवधि का अवकाश स्वीकृत कराकर प्रस्थान करेंगी तथा स्वीकृत अवकाश में किसी प्रकार की वृद्धि नहीं की जावेगी।
2. विदेश जाने हेतु किसी प्रकार का वित्तीय भार राज्य सरकार द्वारा वहन नहीं किया जावेगा।
3. अवकाश समाप्ति के पश्चात अपनी ड्यूटी पर अविलम्ब उपस्थित होगी।
4. विदेश में किसी प्रकार का रोजगार एवं नियोजन स्वीकार नहीं करेगी।
5. विदेश प्रवास के दौरान राज्य सेवा से त्याग पत्र एवं स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्वीकार नहीं की जावेगी।
6. कार्मिका विदेश जाकर किसी प्रकार का प्रशिक्षण प्राप्त नहीं करेगी।

(सुरेश नवल)
निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान जयपुर

क्रमांक:-नर्सिंग/नर्स-2/319-23496/जोन-जयपुर/2023/ 778 दिनांक- 8/11/2023

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. उप शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग(ग्रुप-3) राज. जयपुर।
3. संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये जोन जयपुर।
4. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सीकर।
5. संबंधित चिकित्सा अधिकारी प्रभारी।
6. संबंधित कार्मिक को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
7. प्रभारी, सर्वर रूम को प्रेषित कर लेख है उक्त आदेश विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करे।
8. आदेश/रक्षित पत्रावली।

निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान जयपुर

RajKaj Ref
5035918

Document certified by SURESH
NAWAL <add4ng@gmail.com>
Digitally Signed by Suresh
Kumar Na
Designation Director
Date :08-11-2023 04:10:49